रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09092022-238699
CG-DL-E-09092022-238699

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 610] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 9, 2022/भाद्र 18, 1944
No. 610] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 9, 2022/BHADRA 18, 1944

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 सितम्बर, 2022

सा.का.नि. 690(अ).—केंद्रीय सरकार, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम 36) की धारा 176 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विद्युत वितरण की अनुज्ञप्ति (पूंजी पर्याप्पता, उधार पात्रता की अतिरिक्त अपेक्षाएं और आचार संहिता) नियम, 2005 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विद्युत वितरण की अनुज्ञप्ति (पूंजी उधार पात्रता की अतिरिक्त अपेक्षाएं और आचार संहिता) (संशोधन) नियम, 2022 है।

   (2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. विद्युत वितरण की अनुज्ञप्ति में (पूंजीगत उधार पात्रता की अतिरिक्त अपेक्षाएं और आचार संहिता) नियम, 2005 (जिसे इसके पश्चात् उक्त नियम के रूप में कहा गया है), नियम 3 में, -

   (क) उप-नियम (2) के 'स्पष्टीकरण' के स्थान पर, निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात्:

   "स्पष्टीकरण - अधिनियम की धारा 14 के छठे परंतुक के संदर्भ में एक ही क्षेत्र के भीतर बिजली के वितरण के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु, या तो संविधान के अनुच्छेद 243थ में यथा-परिभाषित नगर निगम के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र या तीन निकटवर्ती राजस्व जिले, या कोई उपयुक्त सरकार द्वारा यथा अधिसूचित एक छोटा क्षेत्र न्यूनतम आपूर्ति क्षेत्र होगा।"

[फा. सं. 23/08/2022-आरएंडआर]

पीयूष सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारणकी अधिसूचना संख्या सा.का.नि.188 (अ) तारीख 23 जून, 2005 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th September, 2022

G.S.R. 690(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of, and clause (b) of sub-section (2) of, section 176 of the Electricity Act, 2003 (Act 36 of 2003) the Central Government hereby makes the following rules, to amend the Distribution of Electricity Licence (Additional Requirements of Capital Adequacy, Creditworthiness and Code of Conduct) Rules, 2005, namely:--

1. **Short title and commencement.** – (1) These rules may be called the Distribution of Electricity Licence (Additional Requirements of Capital Adequacy, Creditworthiness and Code of Conduct) (Amendment) Rules, 2022.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Distribution of Electricity Licence (Additional Requirements of Capital Adequacy, Creditworthiness and Code of Conduct) Rules, 2005 (hereinafter referred to as the said rule), in rule 3,

   (a) for 'Explanation' to the sub-rule (2), the following Explanation shall be substituted, namely:-

   "Explanation.- For grant of a license for distribution of electricity within the same area in terms of sixth proviso to section 14 of the Act, the area falling within either a Municipal Corporation as defined in article 243Q of the Constitution or three adjoining revenue districts, or a smaller area as may be notified by the Appropriate Government shall be the minimum area of supply."

[F. No. 23/08/2022-R&R]

PIYUSH SINGH, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* notification number G.S.R. 188(E), dated the 23rd June, 2005.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.